आशा के रूप में ई.एस.बी. योजना के अंतर्गत मिलने वाला मानदेय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मैं परिवार सर्वेक्षण पूरा करके योग्य दम्पतियों की सूची तैयार करूँ और उसे प्रतिमाह अपडेट करूँ।

शहरी आशा के प्रति 1000 आबादी पर ई.एस.बी. योजना के अनुमानित लाभार्थियों की संख्या (PSI, OTS सर्वे पर आधारित)

दम्पति	महिला की आयु वर्ग (15-19)	महिला की आयु वर्ग (20-24)	कुल लाभार्थी
अभी बच्चा नहीं है	1	7	8
एक बच्चा है	1	11	12
दो बच्चे हैं	0	7	7

अधिक जानकारी के लिए काल करें – **1800 180 1900**

उत्तर प्रदेश सरकार

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

बच्चों के जन्म में आवश्यक अंतराल योजना

(ई.एस.बी. योजना)

ई.एस.बी. योजना क्या है

दम्पतियों को सुखी और खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने के लिए, बेहतर परामर्श द्वारा बच्चों के जन्म में आवश्यक अन्तराल सुगम करने हेतु प्रोत्साहित करने की एक अनूठी योजना है।

ई.एस.बी. के अंतर्गत आशा नव विवाहित दम्पति को पहले बच्चे के जन्म को दो वर्ष तक टालने तथा दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्ष का अंतर रखने और उसके बाद परिवार को सीमित रखने का परामर्श देती है।

ई.एस.बी. योजना के अंतर्गत दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवाएँ दिलवाने पर आशा को प्रत्येक चरण पर मानदेय दिया जाता है

01	पहले बच्चे का जन्म विवाह के दो वर्ष बाद होने पर – रू. 500
02	दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्ष का अंतर होने पर – रू. 500
03	दम्पति द्वारा परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखने का निर्णय लेकर स्थायी साधन अपनाने पर – रू. 1000

भुगतान के लिए अपेक्षित दस्तावेज एवं सहायता

वाउचरों की प्रस्तुतिः ई.एस.बी. योजना के अंतर्गत वाउचर प्रस्तुत करने से पहले, आशा को यह ध्यान रखना चाहिए किः–

(क) प्रत्येक दम्पति के लिए **अलग–अलग फार्म** भरा जाना है और साथ में योग्य दम्पति रजिस्टर के पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करनी है।

(ख) **स्थानीय निकाय से वाउचर का सत्यापनः** फार्म का सत्यापन स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि अथवा वार्ड काउंसलर द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) **सहायक नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम) द्वारा सत्यापनः** ए.एन.एम द्वारा दावा फार्म का सत्यापन उसके आर.सी.एच. रजिस्टर के आधार पर किया जाना है।

ई.एस.बी. योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए - आशा को क्या करना चाहिए

1. अपने क्षेत्र में निवास करने वाले योग्य दम्पतियों की सूची बनाने के लिए **गृहों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करना**।
2. यूएचआईआर/योग्य दम्पति रजिस्टर में **योग्य दम्पतियों की सूची को प्रत्येक माह अपडेट करना**।
3. **अनिवार्य कॉलमः** योग्य दम्पति रजिस्टर में दम्पति के पंजीकरण की तिथि, विवाह की तिथि, आयु, योग्य दम्पति रजिस्टर नम्बर, जीवित बच्चों की संख्या, सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटे बच्चे की जन्म तिथि, मासिक परामर्श अथवा फॉलो–अप इत्यादि जैसे चयनित कॉलम अनिवार्य रूप से एवं सावधानी से भरने चाहिए।
4. सम्बन्धित ए.एन.एम. के आर.सी.एच. रजिस्टर में **योग्य दम्पतियों की सूची को प्रत्येक माह अपडेट** किया जाना चाहिए।